सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
## गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024 / 307 दर्ज तिथिः– 30.07.2024

1. नानगाराम पुत्र श्री गोमाराम
   कौम जाट, निवासी गंगापुरा, ग्राम पंचायत खारिया खुर्द, तहसील नोखडा, जिला बाडमेर।

..................................प्रार्थी

**बनाम**

1. ईशराराम पुत्र श्री गुमनाराम
2. दलाराम पुत्र श्री गुमनाराम
3. पूनमाराम पुत्र श्री गुमनाराम
4. जैयाराम पुत्र श्री भीयाराम
5. विशनाराम दतक पुत्र श्री निम्बाराम
6. उर्जाराम पुत्र श्री भीखाराम
7. बाबूराम पुत्र श्री जेहाराम
8. रूपोंदेवी पत्नी श्री जेहाराम
9. सगरामाराम पुत्र श्री भींयाराम
10. स्व0 दूदाराम पुत्र श्री भीखाराम फौत कायम मुकाम वारीशान
    10 / 1. हराराम पुत्र श्री दूदाराम
    10 / 2. कासूराम उर्फ किशोर पुत्र श्री दूदाराम
    10 / 3. ठाकराराम पुत्र श्री दूदाराम
    10 / 4. शेरूदेवी पत्नी श्री दूदाराम
    10 / 5. स्व0 पूराराम पुत्र श्री दूदाराम फौत के कायम मुकाम
        10 / 5 / 1. जोगेन्द्र पुत्र श्री पूराराम
        10 / 5 / 2. अमरूदेवी पत्नी श्री पूराराम
11. जलाराम पुत्र श्री सुराराम
12. तेजाराम पुत्र श्री सुराराम
13. देवाराम पुत्र श्री सुराराम
14. वाली पत्नी श्री सुरताराम
    कौम जाट निवासी गंगापुरा
15. ओमा पुत्र श्री भोपाला

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.11 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

16. इन्द्र पत्नी श्री भोपाला
17. माला पुत्र श्री मोती
18. शंकरा पुत्र भोपाला
19. टीपू पत्नी श्री मोती
20. जेठा पुत्र श्री मोती
21. गपूरा पुत्र श्री डालू
22. स्व0 नेना पुत्र श्री मोटा फौत कायम मुकाम वारीशान
    22 / 1. कासु पुत्र नेना
    22 / 2. ओमा पुत्र नेना
    22 / 3. फुआ पुत्र नेना
    22 / 4. कंवरा पुत्र नेना
23. ईमा पुत्र श्री तुलछा
24. भेरू पुत्र श्री शेरा
25. भूरीदेवी पत्नी श्री सोनाराम
26. भीखा पुत्र श्री सोना
27. मंगना पुत्र सोना
28. मंगली पुत्री नेनाराम
29. रमेश पुत्र राउराम
30. श्रवण पुत्र राउराम
31. राधा पुत्री राउराम
32. शांति पुत्री नेनाराम
33. शायरी पत्नी राउराम
34. खेताराम पुत्र नेनाराम
35. जमा पुत्र असू
36. ढेली पुत्री नेनाराम
37. देउ पुत्री राउराम
38. नेनी पत्नी नेनाराम
39. नेमा पुत्र सोना
40. पूजा पुत्री राउराम
41. स्व0 बाबू पुत्र असु फौत कायम मुकाम वारीशान
    41 / 1. राउ पुत्र बाबू
    41 / 2. देवा पुत्र बाबू
    कौम ढाढी निवासी बनाणियों की ढाणी तहसील नोखड़ा

................................असल अप्रार्थीगण

42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखडा।

.........................तरतीबी अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.11 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री चिमन चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

**—:निर्णयः—**

निर्णय तिथिः— 27.09.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 195 / 1 / 5.8086 है0, 218 / 3 / 1.9982 है0, 289 / 3 / 8.0900 है0 वाके ग्राम गंगापुरा तहसील नोखडा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखडा के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार नोखडा के आदेश दिनांक 30.10.2023 की पालना में दिनांक 29.01.2024 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 29.01.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार नोखडा को पत्रांक / कोर्ट / आरए / 2024 / 1355 दिनांक 08.08.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने दिनांक 30.08.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक दिनांक 29.01.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.11 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—(1)*** *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 2076—2079 में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखडा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक दिनांक 29.01.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखडा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.11 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested

किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

**प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 195/1/5.8086 है0, 218/3/1.9982 है0, 289/3/8.0900 है0 वाके ग्राम गंगापुरा तहसील नोखडा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उ पस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखडा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।**

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखडा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.09.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.11 13:43:46 IST
Reason: SelfAttested